



उत्तराखण्ड शासन

# हैलथ एडवाइजरी

## नोवल कोरोना वायरस

**COVID-19** संक्रमण से बचें, तम्बाकू का सेवन न करें।

- खैनी, गुटखा, सुपारी, पान मसाला जैसे तम्बाकू उत्पादों के उपयोग के दौरान थूकने से **COVID-19** के संक्रमण का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है।
- तम्बाकू उत्पाद, पान मसाला एवं सुपारी चबाने से मुँह में अत्यधिक 'लार' की मात्रा बढ़ती है और थूकने की तीव्र इच्छा होती है। इनका सेवन न करें।
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है, यह **COVID-19** वायरस को तेजी से फैलाने का कारण हो सकता है।

अतः समस्त जनता से अनुरोध है कि सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों का सेवन न करें। सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू उत्पादों का सेवन एवं थूकना दंडनीय अपराध है। कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा के लिए आप स्वयं जागरूक बनें और अन्य को भी जागरूक बनाएँ।

*Ami*  
11/04/2020

डॉ० अमिता उप्रेती

महानिदेशक

स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तराखण्ड।